

प्रपत्र-02
मान्यता नवीनीकरण

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd19@gmail.com फोन नं. -07752-493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./ JNG-CHP-E/2020-21/20-18

बिलासपुर,दि. 15.07.2020

प्रति,

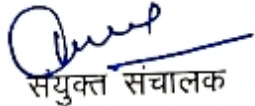
प्रबंधक/प्राचार्य
लोटस पब्लिक स्कूल जांजगीर,
जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 19, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र क. एल.पी.एस.32/दि 02.07.2020।

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के अनंतिम मान्यता पत्र क. 3979 दिनांक 17.07.2019 में उल्लेखित शर्तों के अधीन लोटस पब्लिक स्कूल जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (यू ड्राईस - 22061701459) को कक्षा नर्सरी से कक्षा बारहवीं एवं सत्र 2020-21 से 2022-23 तक 03 सत्रों के लिये अंग्रेजी माध्यम की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ.-02-39/2019/20 - दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में देता हूं।

कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।


संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़